भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 2613

जिसका उत्तर 22.12.2022 को दिया जाना है

राज्य के राजमार्गों का राष्ट्रीय राजमार्ग में उन्नयन

2613. श्री बी. वाई. राघवेन्द्र:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राज्य राजमार्ग शिमोगा - शिकारीपुरा - शिरालकोप्पा - हनागल - थडासा (एसएच-25) और शिमोगा - होन्नाली - मालेबून्नूर - होन्नाली (एसएच-27) को वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएचएस) के रूप में सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया था और तब से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अनुमोदित राजमार्गों को कब तक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार सागर - सोराबा - अनावत्ती (एसएच-62) और अयानूर - रिप्पेनपेट - होसनगरा (एसएच-26) पर यातायात बढ़ने के कारण इसे एनएच में परिवर्तित करने पर विचार कर रही है; और

(ड.) यदि हां, तो सरकार द्वारा उपर्युक्त राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ङ) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय को राज्य की सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) के रूप में घोषित/उन्नयन करने के लिए कर्नाटक राज्य सहित विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों आदि से प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं। मंत्रालय संपर्कता, यातायात स्तर, परस्पर प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता की आवश्यकताओं के आधार पर नए एनएच के रूप में घोषणा के मानदंडों को पूरा करने के अधीन समय-समय पर कुछ राज्यीय सड़कों को एनएच के रूप में घोषित करने पर विचार करता है।

****